न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 54/2024 **दर्ज दिनांक 15.05.2024**

जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2024/134

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. देवीलाल पिता दुर्गा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गणेश पिता उदा ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर मृतक के बजाय विधिक वारीसान
2. घीसी पुत्री उदा ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर मृतक के बजाय विधिक वारीसान
3. दुर्गेश पिता चान्दु ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता उदा ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर मृतक के बजाय विधिक वारीसान
5. प्रेमी पत्नि चान्दु ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शिवलाल पिता चान्दु ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एकपक्षीय

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

:: निर्णय ::

दिनांकः– 23/3/2026

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 27.01.2025 के द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 278 में अंकित आराजी संख्या 795 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 796 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 भूमि में वादी का 3/5 हिस्से का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1394 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	देवीलाल पुत्र दुर्गा गाडरी सा.देह	ग्राम चारोट (खाता संख्या 278)	796/1 796/2	0.0120 0.1560
		योग	**2**	**0.1680**
2	1. गणेश पुत्र उदा 1/4 ब्राहम्ण (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) 2. घीसी पुत्री उदा 1/4 ब्राहम्ण (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) 3. दुर्गेश पुत्र चान्दु 1/12 ब्रहम्ण 4. नारायण पुत्र उदा 1/4 ब्राहम्ण (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) 5. प्रेमी पत्नि चान्दु 1/12 ब्रहम्ण 6. शिवलाल पुत्र चान्दु 1/12 ब्रहम्ण	ग्राम चारोट (खाता संख्या 278)	796/3 795	0.0920 0.0200
		योग	**2**	**0.1120**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 23/3/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 54/2024 **दर्ज दिनांक 15.05.2024**

जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2024/134

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. देवीलाल पिता दुर्गा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गणेश पिता उदा ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर मृतक के बजाय विधिक वारीसान
2. घीसी पुत्री उदा ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर मृतक के बजाय विधिक वारीसान
3. दुर्गेश पिता चान्दु ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता उदा ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर मृतक के बजाय विधिक वारीसान
5. प्रेमी पत्नि चान्दु ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शिवलाल पिता चान्दु ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 23/3/2026

डिक्री दिनांक : 23/3/2026

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	देवीलाल पुत्र दुर्गा गाडरी सा.देह	ग्राम चारोट (खाता संख्या 278)	796/1 796/2	0.0120 0.1560
		योग	**2**	**0.1680**
2	7. गणेश पुत्र उदा 1/4 ब्राहम्ण (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) 8. घीसी पुत्री उदा 1/4 ब्राहम्ण	ग्राम चारोट (खाता संख्या 278)	796/3 795	0.0920 0.0200

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) रायपुर

	(मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) 9. दुर्गेश पुत्र चान्दु 1/12 ब्राहम्ण 10. नारायण पुत्र उदा 1/4 ब्राहम्ण (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) 11. प्रेमी पत्नि चान्दु 1/12 ब्राहम्ण 12. शिवलाल पुत्र चान्दु 1/12 ब्राहम्ण			
		योग	**2**	**0.1120**

नीज ....Nil..................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/3/2026 को जारी किया गया।

(करुणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)